पत्र संख्या-6 एस०एस०(11)03/2017-2803 /

# बिहार सरकार
# पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

प्रेषक,

केशवेन्द्र कुमार, भा०प्र०से०,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एवं हक०) बिहार
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक-08/10/2021.

XX
अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

XX

द्वारा :- **आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल ₹ 3000.00 लाख (रुपये तीस करोड़) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के पदों की स्थापना का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-1281, दिनांक-14.05.2020 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल ₹ 3000.00 लाख (रुपये तीस करोड़) मात्र की अनुमानित लागत पर राज्य स्कीम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के पदों की स्थापना का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा अन्य विविध कार्यों पर होने वाले व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना का विस्तृत व्यय विवरणी-क, ख एवं ग संलग्न।

2. राज्य में कृषि रोड मैप (2012-17) के लिए स्वीकृत योजनाओं में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण योजनाओं में एक है। राज्य में पशु विज्ञान, पशुपालन, गव्य तकनीकी, मत्स्य एवं सहबद्ध विज्ञानों के विकास के लिए पृथक विश्वविद्यालय "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम-2016" बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित अधिसूचना संख्या-699 दिनांक 29 अगस्त, 2016 द्वारा प्रख्यापित/अधिसूचित की गई है। अधिसूचित, अधिसूचना में सन्निहित नियम-23(2) के आलोक में राज्य सरकार द्वारा प्रथम कुलपति की नियुक्ति विभागीय अधिसूचना संख्या-1765, दिनांक-12.06.2017 के द्वारा किया चुका है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन का त्वरित गति से विकास आवश्यक है क्योंकि इससे ग्रामीणों को सीधा फायदा होगा और राज्य की अर्थ व्यवस्था में उनका योगदान होगा। इसके लिए सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान को प्रयोगशाला से सरजमीन पर उतारने हेतु प्रख्यापित/अधिसूचित विश्वविद्यालय यथा बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना हेतु कुलपति एवं उनके

अधीनस्थ अकादमिक–सह–प्रशासनिक पद एवं सर्पोटिंक स्टाफ के 218 पदों के सृजन की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2017–18 में विभागीय मूल राज्यादेश संख्या–3689, दिनांक–20.11.2017 के द्वारा प्रदान की गई है। जिसका विवरण वेतनमान एवं ग्रेड पे सहित निम्नवत है :–

| Sl.no. | Designation | No. of Proposed Post | Pay Scale and Grad pay |
|---|---|---|---|
| | ACADEMIC CUM ADMINISTRATIVE POSTS | | |
| 1 | Vice-Chancellor | 01 | 75000/- & SP 5000/- |
| 2 | Director Resident Instruction-cum-Dean PGS | 01 | 37400-67000 + 10000 (GP) |
| 3 | Director Research | 01 | 37400-67000 + 10000 (GP) |
| 4 | Director Ext. Education | 01 | 37400-67000 + 10000 (GP) |
| 5 | Registrar | 01 | 37400-67000 + 10000 (GP) |
| 6 | Comptroller | 01 | 37400-67000 + 10000 (GP) |
| 7 | Student Welfare Officer Cum Placement Officer | 01 | 37400-67000 + 10000 (GP) |
| 8 | Univ. Liabrarian Cum Information Officer | 01 | 37400-67000 + 9000 (GP) |
| 9 | Dy. Registrar(Acad. Exam.Adm. & Recruit) | 03 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 10 | Dy.Director Resident Instruction | 01 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 11 | Dy.Director Research | 03 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 12 | Dy.Comptroller | 02 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 13 | Dy.Director(Trainning Information) | 02 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 14 | Sr.Instrumentation Officer(CIF) | 01 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 15 | Estate Officer | 01 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 16 | Sr.System Analyst | 01 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 17 | Director Works and Plant (DWP) | 01 | 37400-67000 + 8700 (GP) |
| 18 | Dy.Librarian | 01 | 15600-39100 + 7600 (GP) |
| 19 | System Analyst | 01 | 15600-39100 + 7600 (GP) |
| 20 | Public Relations Officer | 01 | 15600-39100 + 7600 (GP) |
| 21 | Dy.Estate Officer(Civil) | 01 | 15600-39100 + 7600 (GP) |
| 22 | Dy.Estate Officer(Elctrical /Mech) | 01 | 15600-39100 + 7600 (GP) |
| 23 | Secretary to Vice-Chancellor | 01 | 15600-39100 + 6600 (GP) |
| 24 | Central Purchase Officer | 01 | 15600-39100 + 6600 (GP) |
| 25 | Asstt.Registrar(Acad.Exam & ADM Recruit) | 04 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| 26 | Asstt.Comptroller (Operation, Plan & Budget, Central purchase, Farm Operation, Audit) | 05 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| 27 | Assistant Liabrarian | 02 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| 28 | Jr.Instrumentation Officer(CIF) | 02 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| 29 | Asstt.Estate Officer(Civil) | 02 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| 30 | Asstt.Estate Officer(Electrical/Mechanical) | 01 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| 31 | Law Officer | 01 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| 32 | Estate cum Security Officer | 01 | 15600-39100 + 5400 (GP) |
| | **Total Academic/Administrative Post** | **48** | |
| | **SUPPORTING STAFF** | | |
| 1 | Security Officer | 01 | 9300-34800 + 4600 (GP) |
| 2 | Accounts Asstt./Accounting Technician | 25 | 9300-34800 + 4600 (GP) |
| 3 | Multy Task Office Asstt. | 44 | 9300-34800 + 4600 (GP) |
| 4 | Section Officer Accounts | 03 | 9300-34800 + 4600 (GP) |
| 5 | P.A | 09 | 9300-34800 + 4600 (GP) |
| 6 | Jr. Engineer(Civil) | 08 | 9300-34800 + 4600 (GP) |
| 7 | Jr.Engineer(Electrical) | 04 | 9300-34800 + 4600 (GP) |
| 8 | Receptionist Care Taker | 02 | 9300-34800 + 4200 (GP) |
| 9 | Security Supervisor | 04 | 9300-34800 + 4200 (GP) |
| 10 | Artist | 01 | 9300-34800 + 4200 (GP) |
| 11 | Electrician | 03 | 5200-20200 + 2400 (GP) |
| 12 | Heavy Duty Vehicle Driver | 02 | 5200-20200 + 2400 (GP) |
| 13 | Photographer | 02 | 5200-20200 + 2000 (GP) |
| 14 | Mechanic | 02 | 5200-20200 + 2000 (GP) |
| 15 | Light Vehicle Driver | 06 | 5200-20200 + 2000 (GP) |
| 16 | Carpenter | 01 | 5200-20200 + 2000 (GP) |
| 17 | Plumber | 01 | 5200-20200 + 2000 (GP) |
| 18 | Multi Task Worker | 52 | 5200-20200 + 1800 (GP) |
| | **Total Supporting Officer/Staff** | **170** | |
| | **Grand Total** | **218** | |

3. वर्त्तमान में पशु विज्ञान, गव्य तकनीकी, मत्स्य विज्ञान एवं सहबद्ध विज्ञान से संबंधित जो भी संस्थान हैं वे कृषि विश्वविद्यालय से जुड़े हुये हैं जिनकी प्राथमिकता कृषि विज्ञान और उद्यान का विकास है। इसी को दृष्टिपथ में रखते हुये पशु एवं मत्स्य संसाधन से संबंधित विज्ञान एवं तकनीकी में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का शोध करने एवं विभिन्न शोधों को धरातल पर उतारने के लिए एक पृथक एवं अत्याधुनिक विश्वविद्यालय "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम–2016" को अधिसूचित राज्य सरकार द्वारा किया गया है। जिसका मुख्यालय राज्य मुख्यालय अवस्थित बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का कैम्पस है जहाँ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग एवं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का पर्याप्त भूखण्ड उपलब्ध है जिसमें नवगठित विश्वविद्यालय हेतु आकादमिक भवन, प्रशासनिक भवन, शोध संस्थान (गव्य, मत्स्य एवं पशुपालन से संबंधित) परीक्षा भवन, लाईब्रेरी भवन एवं अन्य भवनों का निर्माण, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से कराया जाना है। इस निर्माण कार्य हेतु इस योजना में 0101.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण मद में उपबंधित राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को राशि उपलब्ध करायेंगे तथा विश्वविद्यालय में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतनादि का भुगतान विषय शीर्ष–0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन एवं अन्य विविध कार्यों के लिए विषय शीर्ष–0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि का उपयोग कुलपति द्वारा किया जायेगा ताकि विश्वविद्यालय अपने मूर्त रूप को प्राप्त कर लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति कर सके।

4. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना, पूरे राज्य में पशु विज्ञान, पशुपालन, पशुचिकित्सा, गव्य तकनीकी, मत्स्य एवं सहबद्ध विज्ञानों के विकास के लिए शिक्षा, अनुसंधान, विस्तार, प्रसार आदि का कार्य करेगा। वर्त्तमान में जो भी पशु विज्ञान/पशुचिकित्सा महाविद्यालय/गव्य तकनीकी महाविद्यालय/मत्स्य महाविद्यालय/शोध संस्थान जो कृषि विश्वविद्यालय के अधीन है उन्हें प्राथमिकता के दृष्टिकोण से अधिसूचित अधिनियम के नियम–50 एवं नियम–53 के अधीन परिशिष्ट–1 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के अधीन अंगीकृत किया गया है।

5. वित्तीय वर्ष 2021–22 में इस योजना के तहत निम्नांकित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत व्यय का विकलन किया जायेगा :–

(i) मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–03 –पशुपालन, लघुशीर्ष–277 –शिक्षा, मांग संख्या–02 –उपशीर्ष–0101 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415032770101.

(ii) मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–03 –पशुपालन, लघुशीर्ष–789 –अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–02 –उपशीर्ष–0101 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037890101 एवं

(iii) मुख्य शीर्ष–2415 –कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उपमुख्य शीर्ष–03 –पशुपालन, लघुशीर्ष–796 –जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–02 –उपशीर्ष–0101 –बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्र कोड 02-2415037960101.के तहत विभिन्न विषय शीर्षो यथा विषय शीर्ष– 0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन, विषय शीर्ष–0101.31.05 –सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा विषय शीर्ष–0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सचिव/प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना होंगे। साथ ही इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव/प्रधान सचिव होंगे।

7. इस स्कीम के तहत स्वीकृत राशि कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को निदेशक, पशुपालन द्वारा बी०टी०सी० फार्म–42 पर राशि की निकासी कर एकमुश्त उपलब्ध कराया जायेगा अथवा आर०टी०जी०एस० के माध्यम से राशि को विश्वविद्यालय को स्थानांतरित किया जायेगा।

8. योजना अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम में सन्निहित प्रावधान के आलोक में सृजित/स्वीकृत तथा नियुक्ति किये गये अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के वेतनादि, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा विश्वविद्यालय के विविध कार्यों पर होने वाले व्यय का वहन किया जायेगा।

9. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना का यह दायित्व होगा कि इस योजना में स्वीकृत राशि का उपयोग विश्वविद्यालय के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति तथा उसके विकास पर करेंगे ताकि विश्वविद्यालय अपने लक्षित उद्देश्य को प्राप्त कर सके।

10. कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना तथा निदेशक, पशुपालन का यह भी दायित्व होगा कि वित्त विभागीय संकल्प–573, दिनांक–16.01.1975 एवं एम०–04–15/2009–9736 वि०–2, दिनांक–19.10.2011 के अनुसार सहायक अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से 18 माह के अन्दर विभाग एवं महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार पटना के कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा तथा व्यय को स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रखा जायेगा।

11. चुकि यह चालू योजना है। इसलिए बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली–2007 के चतुर्थ अनुसूची के नियम "क" उप नियम–4 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(11)03/2017 के पृष्ठ–58/टि० एवं दिनांक–20.09.2021.

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(11)03/2017 के पृष्ठ–59/टि० तथा डायरी संख्या–355, दिनांक–04.10.2021.

13. वित्त विभागीय पत्र–7355, दिनांक–05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

विश्वासभाजन,

(केशवेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017– 2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (योजना शाखा/बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017– 2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017– 2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना/निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017– 2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित पशुपालन निदेशालय के लेखा शाखा/बजट शाखा/योजना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017– 2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित सभी विभागाध्यक्ष/सभी विभाग के सचिव/प्रधान सचिव/सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/कुलाधिपति के प्रधान सचिव/सभी आयोग के सचिव/विधान सभा/विधान परिषद् के सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017–2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021.

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी/विभागीय योजना शाखा के कार्यवाह सहायक को अतिरिक्त पाँच प्रति के साथ/डा० दिवाकर प्रसाद, सहायक

निदेशक, पशुपालन, सूचना प्रसार, बिहार, पटना/महालेखाकार, लेखा परीक्षा कार्यालय, महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017– 2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्य(वित्त) मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांकः–6 एस०एस०(11)03/2017– 2803 /पटना–15, दिनांकः– 08/10/2021

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अप–लोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी–क

**वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना एवं अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–**

विपत्र कोड 02–2415032770101 **(राशि रुपये करोड़ में)**

| क्र०सं० | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | कोषागार का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन | 4.64 | सचिव/प्रधान सचिव, पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना। | सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना |
| 2. | 0101.31.05 –सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण | 10.08 | | |
| 3. | 0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैरवेतन | 10.08 | | |
| | **योग :–** | **24.80** | | |

**कुल (रुपये चौबीस करोड़ अस्सी लाख) मात्र।**

2803
08/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

व्यय विवरणी–ख

वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना एवं अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–

विपत्र कोड 02–2415037890101 (राशि रुपये करोड़ में)

| क्र०सं० | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | कोषागार का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन | 1.00 | सचिव/प्रधान सचिव, पशु एव मत्स्य संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना। | सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना |
| 2. | 0101.31.05 –सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण | 2.00 | | |
| 3. | 0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैरवेतन | 2.00 | | |
| | योग :– | 5.00 | | |

**कुल (रुपये पाँच करोड़) मात्र।**

2803
08/10/2021

सरकार के विशेष सचिव

ST

## व्यय विवरणी–ग

**वित्तीय वर्ष 2021–22 में राज्य स्कीम के तहत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की स्थापना एवं अन्य आधारभूत संरचना के निर्माण एवं अन्य विविध कार्यों पर होने वाले संभावित व्यय का व्यय विवरणी :–**

विपत्र कोड 02–2415037960101 **(राशि रुपये करोड़ में)**

| क्र०सं० | विषय शीर्ष | स्वीकृत राशि | निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम | कोषागार का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 0101.31.04 –सहायक अनुदान–वेतन | 0.04 | सचिव / प्रधान सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अथवा इनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना। | सचिवालय कोषागार, विकास भवन (नया सचिवालय) पटना |
| 2. | 0101.31.05 –सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों का निर्माण | 0.08 | | |
| 3. | 0101.31.06 –सहायक अनुदान–गैरवेतन | 0.08 | | |
| | योग :– | **0.20** | | |

**कुल (रुपये बीस लाख) मात्र।**

| क्र०सं० | व्यय का सारांश | (राशि करोड़ में) |
|---|---|---|
| (1) | व्यय विवरणी–क | 24.8 |
| (2) | व्यय विवरणी–ख | 5.00 |
| (3) | व्यय विवरणी–ग | 0.2 |
| | **योग :–** | **30.00** |

कुल (रुपये तीस करोड़) मात्र।

2803
08/10/2021

06/10/21
सरकार के विशेष सचिव

# पशुपालन निदेशालय, बिहार

बिहार सरकार

ई-मेल - dirahd-bih@nic.in वेबसाइट - ahd.bih.nic.in दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 8 बजट (1) 22/2021....41..(नि०).आ० दिनांक-..17..../..03../2022

प्रेषक,

निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

सेवा में,

निदेशक, पशुपालन,
बिहार, पटना।

विषयः— **वित्तीय वर्ष 2021—22 में मांग संख्या—02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 277— शिक्षा, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड—02— 2415032770101, बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 789— अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड—02—2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 796— जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड— 02—2415037960101 के अन्तर्गत संबंधित कार्यालय के व्यय को वहन करने हेतु कुल ₹ 10,50,00,000/— (दस करोड़ पंचास लाख) मात्र का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या—2803 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में तथा आवंटनादेश संख्या 33 (नि०) आ०, दिनांक 24.01.2022 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹ 10,50,00,000/— (दस करोड़ पचास लाख) मात्र आवंटित किये जाते है।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021—22 में मांग संख्या—02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 277— शिक्षा, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड—02—2415032770101, बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 789— अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड—02—2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 —पशुपालन, लघु शीर्ष 796—जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष 0101— बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड— 02—2415037960101 के अन्तर्गत विकलनीय होगा ।

3. यह आवंटन राज्य स्कीम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 के लिये बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के पदों की स्थापना का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा विविध कार्यों की योजना के लिये दिया जा रहा है।

4. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 345/वि०, दिनांक 25.03.2021 एवं पत्रांक 1101/वि०, दिनांक 15.02.2022 के आलोक में राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(क) वेतन—भत्ते को छोड़कर एक विषयशीर्ष की राशि दूसरे विषयशीर्ष में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग —1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह के 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2021–22 का प्रर्त्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2022 तक अवश्य भेजा जाय।

5. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय /प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक पशुपालन।

ज्ञाप सं0– 8 बजट (1) 22/ 2021...419 (नि0)..... आ०/ पटना–15, दिनांक 12 / 03 /2022

प्रतिलिपि– उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा ) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या टी0 ए0 –57–96–97 प0पा0 –9 –46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में/ उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि– प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग, बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट –3909 वि0 (2)दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में/ आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– कुलपति, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/ लेखा शाखा–09, योजना शाखा–06 एवं 10 पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को अनुलग्नक सहित (विभागीय वेबसाइट पर आवंटनादेश को अपलोड करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक पशुपालन।

त्रैमासिक राज्यादेश संख्या 2803 दिनांक 08.10.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021–22 में मांग संख्या–02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 –पशुपालन, लघु शीर्ष 277– शिक्षा, उप शीर्ष 0101– बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड–02– 2415032770101, बजट शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 –पशुपालन, लघु शीर्ष 789– अनुसूचित जातियों के विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101– बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड– 02–2415037890101 एवं बजट शीर्ष 2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 03 –पशुपालन, लघु शीर्ष 796– जन जातीय क्षेत्रीय उप योजना, उप शीर्ष 0101– बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, विपत्रकोड– 02–2415037960101 के अन्तर्गत बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के लिए अकादमिक एवं प्रशासनिक पदों के साथ सपोर्टिंग स्टाफ के पदों की स्थापना का अवधि विस्तार, आधारभूत संरचना का निर्माण तथा विविध कार्यों की योजना पर होने वाले व्यय को वहन करने हेतु आवंटन की विवरणी –

| निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम– निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना। | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र० सं० | विपत्र कोड | विषय शीर्ष | | | | | | | | | कुल आवंटित राशि | | |
| | | 0101.31.04–सहायक अनुदान–वेतन | | | 0101. 31.05– सहायक अनुदान–परिसम्पतियों के निर्माण | | | 0101. 31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन | | | | | |
| | | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन | पूर्व का आवंटन | अतिरिक्त आवंटन | कुल आवंटन |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02–2415032770101 (सामान्य घटक) | 30160000 | 16240000 | 46400000 | 65520000 | 35280000 | 100800000 | 65520000 | 35280000 | 100800000 | 161200000 | 86800000 | ~~248000000~~ 17744,0000 |
| 2 | 02–2415037890101 (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) | 6500000 | 3500000 | 10000000 | 13000000 | 7000000 | 20000000 | 13000000 | 7000000 | 20000000 | 32500000 | 17500000 | 50000000 |
| 3 | 02–2415037960101 (जनजातीय क्षेत्र उप योजना) | 260000 | 140000 | 400000 | 520000 | 280000 | 800000 | 520000 | 280000 | 800000 | 1300000 | 700000 | 2000000 |
| | | | | | | | | | | कुल योग :– | 195000000 | 105000000 | ~~300000000~~ 229440000/- |
| ₹ 10,50,00,000/– (दस करोड़ पचास लाख) मात्र। | | | | | | | | | | | | | |

निदेशक, पशुपालन।